सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 84/प्रा0पत्र/2023 **दायरा दिनांक :–14.06.2023**

1.धनपाल आ0 श्री नन्दकिशोर जाति नायक निवासी हिंगोनिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1.राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी – श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

दिनांक :– 07/10/2024

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमि खाता संख्या 63 खसरा संख्या 649/780 रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाके ग्राम धारधडी पटवार मण्डल रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में विरिथत है, जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, प्रार्थी उक्त भूमि शान्ति पूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी गरीब काश्तकार है जो मय परिवार कृषि कार्य पर निर्भर है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से फसल बोता जोता एवं काटता चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 649/780 हैक्टेयर की ऑनलाईन रिकॉर्ड में सहवन से गलत तरमीम अंकित हो गई तथा पुरानी तरमीम के मुताबिक तरमीम नहीं की गई तरमीम का आधार ही मुख्य रूप से कब्जा होता है, इसलिए गलत तरमीम निरस्त करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की भूमि की, की गई तरमीम को दुरूस्त करके सही तरमीम नहीं की गई तो आस पडोस काश्तकारों के मध्य तरमीम को लेकर वाद विवाद बढ जायेगा इसलिए गलत तरमीम को दुरूस्त करवाये जाने के आदेश प्रार्थीगण के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। प्रार्थी की भूमि की वास्तविक कब्जे के अनुरूप जॉच रिपोर्ट मंगवायी जाकर सही तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.05.2023 को कम्प्यूटर जमाबंदी व नक्शा ट्रेस लेने पर गलत तरमीम की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 01.06.2023 को उक्त गलत तरमीम निरस्त करने का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपस्थित पेश किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि बाद न्यायालय आदेश के ही गलत तरमीम को दुरूस्त किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी श्रीमान के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अन्दर अवधि प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त गलत तरमीम के ऑनलाईन इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर पेश है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खाता संख्या 63 खसरा संख्या 649/780 रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाके ग्राम धारधडी पटवार मण्डल रोणीजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 की गई गलत तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुरूप तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से विवादित भूमि की कार्यालय नायब तहसीलदार, दबलाना की जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :– 739/राजस्व/23 दिनांक 30.10.2023 में ग्राम धारधडी के वर्तमन खसरा संख्या 649/780 रकबा 2.4281 हैक्टेयर है किस्म बजंड पर धनपाल पुत्र नन्दकिशोर हिस्सा पूर्ण जाति नायक सा0 हिंगोलिया तह0 के0 पाटन खातेदाज दर्ज है एवं खसरा संख्या 649 रकबा 0.7203 हैक्टेयर किस्म गै0मु0बर्डा राजकीय सिवायचक दर्ज है। डी0आई0एल0आर0एम0पी0 के अन्तर्गत प्राप्त नक्शा शीट में उक्त दोनों खसरा संख्या की तरमीम हो रही है जिससे 649 उत्तर की तरफ एवं खसरा संख्या 649/780 दक्षिण की तरफ तरमीम हो रही है। जबकि मौके पर प्रार्थी खातेदार का कब्जा उत्तर की तरफ है जिसे संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है एवं वर्तमान तरमीम के अनुसार जिस भाग पर खातेदार का कब्जा नहीं है उसे नजरी नक्शे में नीली स्याही से दर्शाया गया है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मुताबिक रिपोर्ट विवादित भूमि ग्राम धारधडी के ख.सं. 649/780 की तरमीम मूल खसरा संख्या 649 के दक्षिण की तरफ हो रही है जबकि प्रार्थी का कब्जा खसरा संख्या 649 के उत्तर की तरफ है। जिसे दुरस्त किया जाकर प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण मे अप्रार्थी द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 649/780 रकबा 2.4281 हैक्टेयर वाके ग्राम धारधडी पटवार मण्डल रोणीजा की वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है। एवं नायब तहसीलदार दबलाना द्वारा प्रस्तावित नक्शे अनुसार भूमि खसरा संख्या 649/780 वाके धारधडी पटवार मण्डल रोणीजा की तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 07.10.2024 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

07/10/2024

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446